the production has come down from 97.36 lakh tonnes to 90.47 lakh tonnes. Once the consumption has gone up and the production has come down, we are depending more on its import. May I know from the hon. Minister what steps he has taken or he is going to take to increase the domestic production to meet the requirement as much as possible and to avoid the import?

श्री राम लखन सिंह यादव : मैंने इस प्रश्न के बारे में आंशिक रूप से पहले जवाब दे दिया है। कई कारणों से कमी हो गई है लेकिन इसको बढ़ाने के लिए सारे उपाय हम लोग कर रहे हैं। केपेसिटी बढ़ा रहे हैं। नयी टेक्नोलोजी की जहां आवश्यकता है, वह भी जितनी चाहिये उतनी तो नहीं लेकिन कुछ बढ़ा रहे हैं। उत्पादन घटेगा तो इम्पोर्ट भी कर रहे हैं लेकिन पूरे देश में कितना और लगेगा अभी मैंने कहा कि पूरे देश में कुल 10 प्रतिशत इस साल पहले की अपेक्षा अधिक उत्पादन बढ़ा रहे हैं।

श्री एस. एस. अहलुवालिया : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि बढ़ती हुई मांग जो केमिकल फर्टिलाइजर के माध्यम से पूरी नहीं की जा सकती, क्या बायो फर्टिलाइजर का उत्पादन करने के बारे में सरकार कुछ सोच रही है?

श्री राम लखन सिंह यादव : भारत सरकार का प्रयास है कि जिस तरह से फर्टिलाइजर का उत्पादन बढ़े चाहे जिस स्रोत से आए लेकिन उत्पादन बढ़ना चाहिये ताकि किसान को फायदा हो। **(व्यवधान)**

श्री इकबाल सिंह : चार कारखाने बंद हैं, उनके बारे में मंत्री जी ने क्या सोचा है, कब तक शुरू होंगे? यह है गोरखपुर, सिंदरी, दुर्गापुर और हल्दिया **(व्यवधान)**

SHRI JAGESH DESAI: As a Member of the Committee on Public Undertaking, I copmiment the Prime Minister for the financial restructuring that has been done. That was most liberal in recent times. Finance is the biggest problem of the public sector undertakings. I would like to know whether the Government will allow sale of the surplus land of the public sector, which is the prime land in most of the metropolitan cities so that they can have resources and the problem that they are facing can be solved. I would like the Prime Minister to react to it. ... *(Interruptions)*

SHRI RAM LAKHAN SINGH YADAV: This is a matter which concerns the principle we have at heart. We will have to take a decision whether the surplus land should be sold or not.

MR. CHAIRMAN: The Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

विमान सेवा कम्पनियों के लिए दिशा-निर्देश

*162. **श्री दिग्विजय सिंह :**

श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी विमान सेवा कम्पनियों के लिये उनके द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विमान सेवाओं के संबंध में कोई सेवा शर्तें/नियमावली/नीति/दिशा-निर्देश निर्धारित किये हैं अथवा ये कम्पनियां अपने ही नियमों का पालन करती हैं;

(ख) यदि सरकार ने कोई नियमावली/सेवा शर्तें/नीति/दिशा-निर्देश निर्धारित किये हैं तो उनका ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गैर-सरकारी विमान सेवा कंपनियों की समय-सारणी और उनके द्वारा लिये जाने वाले किराये को सरकार की सहमति प्राप्त है;

(ख) क्या यह सच है कि दमानिया विमान सेवा को स्थगित कर दिया गया था और फिर तीन दिन के अन्दर ही विमान सेवा चलाने की अनुमति दे दी गई थी ; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त विमान कम्पनी की सेवायें स्थगित करने के क्या कारण थे और उसे किस आधार पर पुन: विमान सेवा शुरू करने की अनुमति दी गई थी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) अनुसूचित तथा गैर-अनुसूचित प्रचालकों के लिए नियम और विनियम वायुयान नियम 1937 में दिए गए हैं। ये नियम वायुयान प्रचालनों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में हैं, कर्मचारियों की सेवा-शर्तों के सम्बन्ध में नहीं।

(ग) वर्तमान में, सभी निजी प्रचालक हवाई टैक्सी प्रचालक अथवा गैर अनुसूचित/चार्टर प्रचालक हैं। वे बिना किसी अनुसूची के उड़ानों का प्रचालन करते हैं तथा कोई भी किराया वसूलने के लिए स्वतंत्र हैं और इस संबंध में उन्हें सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

(घ) और (ङ) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा 18-2-1994 को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के जवाब पर विचार करने के पश्चात मैसर्स दमानियां एयरवेज का एयर टैक्सी प्रचालक परमिट 9-3-1994 को निलंबित किया गया था। यह निलंबन जांच के दौरान मैसर्स दमानियां एयरवेज पर गम्भीर सुरक्षा उल्लंघन सिद्ध होने के उपरान्त किया गया था। निलंबन एक माह की अवधि के लिए अथवा उस तारीख तक के लिए था, इनमें से जो भी पहले हो, जिस तक प्रचालक सकारात्मक कदम उठाये और ऐसी पद्धति व्यवहार में लाये जिससे कि भविष्य में ऐसे उल्लंघन न हों। निलंबन 15-3-94 को रद्द किया गया था।

Revocation of patent on cotton seeds

*163. SHRI SIKANDER BAKHT:
SHRI VIREN J. SHAH:

Will the PRIME MIINSTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government issued orders in February, 1994 for the revocation of the patent on genetically engineered cotton seeds granted to the US Agrochemical Corporation; Agracetus Inc.;

(b) if so, whether the decision has been implemented; and

(c) in case the patent has not been revoked so far, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Government has received a representation for revoking the patent granted by the patent Office to Agracetus Inc. of U.S.A. relating to a "Method of Producing Transformed Cotton Cells by tissue culture". It has been alleged that the said patent is grossly prejudicial to the farmers and public at large and as such is contrary to the overall state interest.

The representation has been examined and a notice isssued to the patentee to show cause as to why the patent should not be revoked under Section 66 of the Patents Act, 1970.

Finalisation of Drug policy

*165. DR. MURLI MANOHAR JOSHI:
SHRI TRILOKINATH CHATURVEDI:

Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government have been able to finalise the Drug Policy; if